पुलिसिया गुंडागर्दी के विरोध में फरीदाबाद के वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) अदालतों में दो तथाकथित रिश्वतखोर बाबुओं को गिरफ्तार करने के नाम पर विजिलेंस पुलिस द्वारा की गई सार्वजनिक गुंडागर्दी के विरोध में बीते सोमवार से तमाम वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। शुक्रवार 21 अप्रैल को जिला न्यायालय परिसर में मैजिस्ट्रेट विशेष गर्ग की अदालत में अपनी सीट पर बैठे हंसराज नामक रीडर को विजिलेंस वालों ने सीट से उठा कर दो-चार झापड़ मारे और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके तुरंत बाद मैजिस्ट्रेट तरुण चौधरी की अदालत में सीट पर बैठे अहलमद सुमित को भी उठा कर दो झापड़ मारते हुए रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोनों की जेबों से तथाकथित रिश्वत के दो-दो हजार रुपये भी बरामद कर लिये। इन गिरफ्तारियों के समय बेशक सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट सीट पर मौजूद नहीं थे, फिर भी गिरफ्तारी से पूर्व अदालत की स्वीकृति लेना तो बनता ही था।

सर्वविदित है कि किसी भी रिश्वतखोर कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कानून में विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अनुसार शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारी रिश्वत में दिये जाने वाले नोटों का विवरण दर्ज करेगा, उन पर अपने गुप्त निशान लगायेगा तथा एक विशेष प्रकार का रसायन लगाएगा। इन नोटों को रिश्वतखोर द्वारा ले लिये जाने के बाद, इशारा पाकर विजिलेंस टीम जिसमें एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य है, रिश्वतखोर को दबोच कर नोटों की बरामदगी करेगी तथा रिश्वतखोर के हाथ एक विशेष रसायनयुक्त पानी से धुलवाएगी। हाथ धुलवाने के बाद पानी का रंग लाल होना रिश्वत लिये जाने का अहम सबूत होता है।

न्याय का मंदिर बना गुंडई का अखाड़ा

इस मामले में विजिलेंस ने वर्णित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा गली के गुंडों की तरह दो सरकारी कर्मचारियों को न केवल नाजायज हिरासत में ले लिया बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से थपड़ा कर कानून की घोर अवहेलना की है। पुलिस वालों ने इन दोनों न्यायिक कर्मचारियों को हिरासत में लेकर अपने दफ्तर ले जाकर भी बुरी तरह से पीटा। बिगड़े दिमाग वाले इन पुलिसियों ने अपना असली रंग अगले दिन तब दिखाया जब वे पकड़े गये कर्मचारियों को पेश करने के लिये अदालत में लाये थे। जब उनके वकील वकालत नामों पर उनके दस्तखत कराने पहुंचे तो इन पुलिसियों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए यह कहते हुए वकालतनामे फाड़ दिये कि उनकी हिरासत में दोषियों से वे दस्तखत नहीं करा सकते। इसी प्रक्रिया में पुलिसियों व वकीलों के बीच अच्छी-खासी झड़पा-झड़पी हो गई।

इसका अनुमान शायद पुलिस वालों को पहले से ही था, इसलिये अपने साथ दो अच्छे-खासे तगड़े बाहुबली पुलिसकर्मी भी लाये थे जो इस झड़पा-झड़पी के दौरान वकीलों पर टूट पड़े। दो-चार वकीलों को अच्छे-खासे जोरदार थप्पड़-घूंसे भी लगे। गौरतलब है कि अभी तक इस मौके पर वरिष्ठ वकील ही मौजूद थे। लेकिन अपने वरिष्ठों की ठुकाई होते देख कर बड़ी संख्या में नये नौजवान वकील पुलिसियों को अच्छा-खासा सबक सिखाने को टूट पड़े और पूरा सबक सिखा दिया।

इस तरह के मामलों के बाद जैसा कि हमेशा होता है थाना सेंट्रल की पुलिस व उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गये। कई घंटों की झक-झक के बाद दोनों पक्षों की ओर से सम्बन्धित आपराधिक धाराओं में एफ़आईआर दर्ज कर ली गई। न्यायालय परिसर में हुई पुलिसिया गुंडई से नाराज वकीलों ने सोमवार को बैठक कर मंगलवार से न्यायिक कार्य रोकने का निर्णय लिया। अब वकील साहेबान अपने विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कराने तथा कानून की आड़ में गुंडागर्दी करने वाले पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। इससे सबसे बड़ा नुक्सान उन लोगों का हो रहा है जो दूर-दूर से अपनी दिहाड़ी खराब करके केवल हाजिरी लगवाने के लिये अदालतों में आने को मजबूर हैं। यदि न्यायिक व्यवस्था आये दिन होने वाले इस तरह के मामलों का स्थायी समाधान करने में असमर्थ है तो कम से कम हाजिरी लगाने के नाम पर लोगों को तो पेशी पर न बुलाया जाये।

बाबुओं के विरुद्ध शिकायतकर्ता भी एक वकील ही है

वकालत के पेशे में वकील मुकदमों में कोर्ट के सामने पेश होकर न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। दोनों पक्षों के वकील अपने-अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा के लिये तमाम कानूनी दलीलों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस मामले में बाबुओं के विरुद्ध शिकायत करने वाले वकील विनीत गौड़ अदालत में पेश होकर ऐसा कोई कार्य नहीं करते। वकीलों द्वारा बताया गया है कि ये साहब केवल ट्रैफिक के चालान भुगतवाने के नाम पर दलाली का काम करते हैं।

मौजूदा मामले में उक्त दोनों बाबू इस वकील को वांछित 'सहयोग' नहीं दे रहे थे। इसी खुंदक में उन्होंने बाबुओं के विरुद्ध रिश्वतखोरी की शिकायत विजिलेंस में दर्ज करा दी। बार सूत्रों की मानें तो इस वकील साहब की विजिलेंस में तैनात किसी अधिकारी से अच्छी-खासी सांठ-गांठ है। इसी का लाभ उठाकर बाबुओं को सबक सिखाने की नीयत से यह सब प्रपंच रचा गया था ताकि भविष्य में कोई भी बाबू उनसे असहयोग न कर सके।

सफाई जुर्माने के नाम पर होटल ढाबों को लूटने की तैयारी कर रहा नगर निगम

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) स्वच्छ भारत अभियान की आड़ में सफाईकर्मियों की नौकरी खाकर शहर को नाकारा ईकोग्रीन कंपनी के हाथ सौंपने वाले नगर निगम अधिकारी अब जुर्माने के नाम पर होटल-ढाबों को लूटेंगे। यानी अब इन होटल ढाबों का कूड़ा ईकोग्रीन नहीं उठाएगा बल्कि इन्हें खुद ही इसका निस्तारण करना होगा। अगर नहीं किया तो निगम जुर्माने के नाम पर मोटी रकम वसूलेगा।

केंद्र और हरियाणा में 2014 में भाजपा की जुमलेबाज सरकार बनने से पहले शहर की सफाई और कूड़ा प्रबंधन का काम नगर निगम के जिम्मे था। इसके लिए आम आदमी से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता था, हां बड़ी संस्थाओं से कचरा प्रबंधन के नाम पर उचित शुल्क लिया जाता था। योजनाओं के नाम बदलने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल भारत अभियान का नाम बदल कर स्वच्छ भारत अभियान कर दिया। पूंजीवाद के समर्थक नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद, गुड़गांव की सफाई व्यवस्था चीन की ईकोग्रीन नाम की कंपनी को सौंप दी। तब ढिंढोरा पीटा गया था कि कंपनी घर घर से कूड़ा उठाएगी और शहर में कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी। अभी तक नागरिक जिस सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं अदा करता था ईकोग्रीन ने उसके लिए निर्धारित से कहीं अधिक वसूलना शुरू कर दिया। पचास किलोग्राम से अधिक कूड़ा निकालने वाली संस्थानों से प्रतिमाह डेढ़ हजार से ढाई हजार रुपये तक शुल्क वसूला जाने लगा। आम जनता से स्वच्छता शुल्क के नाम पर लूट कमाई तो हो रही है लेकिन सफाई कहीं नजर नहीं आ रही। अब इस लूट कमाई को और बढ़ाने के लिए निगम अधिकारियों ने होटल-ढाबों को निशाना बनाया है। इसके तहत अब होटल वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

जनता की जेब खाली कराने की हवस में यह अधिकारी भूल गए कि होटल ढाबों से कूड़े के नाम पर कुछ खास नहीं निकलता। वेस्टेज के नाम पर इनमें बचा खुचा खाना, या जूठन निकलती है। इस जूठन के खरीदार सूअर पालक हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, कैन, गत्ते, डिस्पोजेबल प्लेट, गिलास, कागज के प्लेट, कप आदि कबाड़ निकलता है। यह भी कचरे में नही फेका जाता क्योंकि कबाड़ी यह सब सामान तौल के हिसाब से खरीद ले जाते हैं।

संदर्भवश सुधि पाठक यह भी जान लें कि सेक्टर 13 स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने सीएसआर के तहत बायोवेस्ट, गीला कूड़ा, जूठन आदि से बायोगैस बनाने का प्लांट तैयार कर नगर निगम को सौंपना चाहा था। कारपोरेशन के अधिकारियों ने गीले कूड़े और बायोवेस्ट का इस्तेमाल कर बायोगैस बनाने की निगम अधिकारियों को जानकारी भी दी थी। निगम के हरामखोर अधिकारियों ने इस प्लांट के लिए कभी भी गीला कूड़ा, जूठन और बायोवेस्ट उपलब्ध ही नहीं कराया। मजबूरी में इंडियन ऑयल कारपोरेशन अपने स्तर से प्लांट के लिए जूठन आदि इकट्ठा कर बायोगैस तैयार कर रही है।

सेक्टर 17 स्थित एकांत होटल संचालक सबरवाल बताते हैं कि नगर निगम के आदेश पर ईकोग्रीन कंपनी उनसे कूड़ा प्रबंधन के नाम पर प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपये वसूलती है, जबकि उनके होटल से सामान्य धूल और कचरा ही निकलता है। बावजूद इसके ऐसे होटल ढाबों को नोटिस भेजी जा रही है।

बल्क वेस्ट का जुर्माना 25000 रुपये है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि नोटिस जारी किया जाए और सुविधा शुल्क लेने के बाद नोटिस रद्द कर दिया जाए या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए।

नगर निगम आम आदमी और संस्थानों पर तो जुर्माना लगा रहा है लेकिन ठीक तरह से कचरा प्रबंधन नहीं करने वाली ईकोग्रीन कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

इस कंपनी पर घरों से निर्धारित तीस रुपये की जगह पचास से डेढ़ सौ रुपये तक वसूलने, नगर निगम के संसाधनों को मुफ्त इस्तेमाल करने, गीले और सूखे कचरे का ठीक से प्रबंधन नहीं करने आदि के आरोप लगे लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शहर से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण करने में बुरी तरह नाकारा साबित हुए निगम अधिकारी बड़े संस्थानों को खुद ही कूड़ा निस्तारण करने के आदेश दे रहे हैं। खुद मियां फज़ीहत, दूसरों को नसीहत निगम अधिकारी बंधवाड़ी में निस्तारण प्लांट बनवाने के नाम पर सत्तर करोड़ रुपये से अधिक डकार चुके हैं लेकिन आज तक यह तैयार नहीं हुआ। बंधवाड़ी में खड़ा कूड़े का पहाड़ इन अधिकारियों के भ्रष्ट और अकुशल प्रबंधन का जीता जागता नमूना है। खुद तो प्लांट चला नहीं सके लेकिन प्रतिदिन पचास किलोग्राम तक कूड़ा निकालने वाले संस्थानों पर अपना कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने का दबाव बनाया जा रहा है, नहीं लगाने पर 25000 रुपये जुर्माना ठोंक दिया जाएगा।

संस्थानों पर लागू नियम यदि बंधवाड़ी के कूड़े के पहाड़ों पर लागू किया जाए तो निगम अधिकारियों की पूरी तनख्वाह ही जुर्माने में चली जाएगी।